रिफॉर्म एआरसी लिमिटेड

(पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) दूसरी मंजिल, आईसीसी चैम्बर्स –।।, साकी विहार रोड, एमटीएनएल ऑफिस के पास, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र – 400 072

कब्जे का नोटिस (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि, रिफॉर्म एआरसी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी, जो आरएआरसी 075 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, द्वारा दिनांक 29/09/2022 के असाइनमेंट समझौते के अनुसार, जो कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत निष्पादित किया गया है, तथा धारा 13(12) सहपठित नियम 3, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12.12.2025 को एक मांग नोटिस जारी किया गया, जिसके द्वारा उधारकर्ता एवं गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कहा गया है। उधारकर्ता एवं गारंटरों द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता एवं गारंटरों तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) सहपठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25.05.2026 को ले लिया है। उधारकर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप से तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करें, तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन रिफॉर्म एआरसी लिमिटेड के उक्त बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज के अधीन माना जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
1	1. मैसर्स. डॉ. भीमराव अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम– बकौली, मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद, उत्तर प्रदेश– 224121, 2. मैसर्स. डॉ. भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षा समिति, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम– बकौली, मिल्कीपुर, जिला– फैजाबाद, उत्तर प्रदेश–224121. 3. श्री गोपीनाथ, पुत्र ननकऊ, 493ए, ग्राम– बकौली, मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद, उत्तर प्रदेश– 224121, 4. श्रीमती जगपता, पत्नी ननकऊ, 493ए, ग्राम– बकौली, मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद, उत्तर प्रदेश–224121।	मद संख्या: 1 – अचल संपत्ति का समस्त भाग और हिस्सा जोकि खसरा संख्या 20, जिसका क्षेत्रफल 0.117 हेक्टेयर ग्राम बकौली, परगना खंडासा, तहसील खंडासा, जिला फैजाबाद और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री ओमप्रकाश की भूमि, पश्चिम: श्री गुलाम वारिस की भूमि, उत्तर: चक रोड और उसके बाद मंगरू तथा अन्य व्यक्ति की भूमि, दक्षिण: नाली, और उसके बाद श्री राम नेवाज की भूमि	रु. 24,14,757.75/– (रुपये चौबीस लाख चौदह हजार सात सौ सत्तावन एवं पिचहत्तर पैसे मात्र), दिनांक 25.11.2025 तक

दिनांक: 25.05.2026
स्थान: फैजाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, रिफॉर्म आरएआरसी लिमिटेड
(पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

ADITYA BIRLA CAPITAL — LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266, **शाखा कार्यालय:** द्वितीय तल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली– 110001

सरफेसी अधिनियम – 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है और आप, नीचे उल्लिखित, ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता के रूप में हैं। आपके द्वारा किए गए डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** ने आपके द्वारा दिए गए पते पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस की समग्री यह है कि आपने आपको स्वीकृत किए गए विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के अनुसार और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार नोटिस देने के लिए किया गया है।

ऋण खाता संख्या/ उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) के खाते का नाम और पता	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
ऋण खाता संख्या ABFLUCTER00001002654 **1. जेनेसिस एंटरप्राइजेज,** अपने मालिक के माध्यम से, 2ए, ख्वाजा एन्क्लेव, औरंगाबाद खालसा बिजली पासी किला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226008 **अन्य पते:** खसरा संख्या 1209, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1256, 1261 और 1256, मिन, 1251, ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना, बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002। **2. विनोद एडवर्ड नथानिएल,** 2ए ख्वाजा एन्क्लेव, औरंगाबाद खालसा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226008। अन्य पता: खसरा संख्या 1209, 1213, 1214,1215,1216, 1217, 1219, 1256, 1261 एवं 1256, न्यूनतम, 1251, ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना, बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002 **3. रोसेलिना नथानिएल,** 2 ए ख्वाजा एन्क्लेव, औरंगाबाद खालसा लखनऊ, यूपी–226008। यहां भी: खसरा नं. 1209, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1256, 1261 और 1256, मिन, 1251, ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना, बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002। **(इसके बाद इन्हें सामूहिक रूप से 'ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता कहा जाएगा)**	20.05.2026 & एनपीए की तिथि 16.05.2026	**2,40,17,339.07 रुपये** (दो करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार तीन सौ उनचालीस रुपये और सात पैसे मात्र) **दिनांक 20.05.2026 तक**

अचल संपत्ति का विवरण – संपत्ति का वह सभी भाग और पार्सल जिसका क्रमांकरु ष्खसरा संख्या 1209, रकबा 0.0510 हेक्टेयर, खसरा न. 1213 खा रकबा 0.0060 हेक्टेयर, खसरा नं. 1214 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा नं. 1215 रकबा 0.0610 हेक्टेयर, खसरा नं. 1216 रकबा 0.1640 हेक्टेयर, खसरा नं. 1217 रकबा 0.0380 हेक्टेयर, खसरा नं. 1219 रकबा 0.0090 हेक्टेयर, खसरा नं. 1256 रकबा 0.0380 हेक्टेयर, खसरा नं. 1261 मि. रकबा 0.1140 हेक्टेयर, खसरा नं. 1251 रकबा कुल 10 किता रकबा 0.5090 हेक्टेयर का 1/2 हिस्सा यानी 0.2545 हेक्टेयर रकबा, ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील और जिला लखनऊ में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: कृषि भूमि खसरा संख्या 1220, 1224, पश्चिम: कृषि भूमि खसरा संख्या 1211, 1212, 1201, उत्तर: कृषि भूमि खसरा संख्या 1205, 1204, दक्षिण: कृषि भूमि खसरा संख्या 1273। इसके साथ संलग्न सुखाधिकार और इस पर बने और बनने वाले सभी अन्य भवन और संरचनाएँ, तथा पृथ्वी से जुड़े या पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़े सभी फिटिंग, फिक्चर, प्लांट और मशीनरी, वर्तमान और भविष्य दोनों।

आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को उपरोक्त राशि ब्याज और लागत सहित चुकाएं, अन्यथा **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /बंधककर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना भी शामिल है। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) उधारकर्ता /सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने की शक्ति, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को जारी करने के लिए पट्टे, बिक्री या असाइनमेंट के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार शामिल हैं (2) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना और सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राप्त करना उक्त अधिनियम की धारा 13/13 के प्रावधानों के अनुसार, आपको **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी उपरोक्त संदर्भित और बंधक/बंधक सुरक्षित परिसंपत्तियों को **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक : 30.05.2026, स्थान : लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES — From the trusted family of HDFC Bank

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज

पंजीकृत कार्यालय : ''राधिका'', द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 **शाखा कार्यालय** : एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, खसरा नं. 47, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी, दिल्ली-110018

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

आप अधोलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय सुविधाएँ ग्रहण कीं और उनके पुनर्भुगतान में चूक की। आपकी चूक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सूचना निर्गत की है।

क्र. सं.	1) कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम और पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) मांग सूचना की तारीख; 5) दावा की गई राशि भारतीय रुपये में; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 7) कब्जे की तारीख
1.	**कर्जदार और सह-कर्जदारों का नाम:** के के इंडस्ट्रीज प्लॉट संख्या-5 सी पोल संख्या- 6,7 मटियाला इंडस्ट्रीज उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 दिल्ली और साथ ही बी -73/74, नन्हे पार्क, उत्तम नगर नई दिल्ली नई दिल्ली-110059 और साथ ही प्लॉट संख्या एच1-851 औद्योगिक क्षेत्र चोपामकी अलवर राजस्थान अलवर-301018 राजस्थान प्रेम शंकर पचोरी बी-73/74 नन्हे पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 दिल्ली, डिंपल पचोरी बी-73/74 नन्हे पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली-110059; ऋण खाता संख्या: 4494748,15689704; ऋण खाता संख्या: 4494748, 15689704; ऋण की राशि: रु.2498140/- (रुपये चौबीस लाख अट्ठानवे हजार एक सौ चालीस मात्र) ऋण खाता संख्या 4494748 के तहत और रु.453931/- (रुपये चार लाख तिरपन हजार नौ सौ इकतीस मात्र) ऋण खाता संख्या 15689704 के तहत; मांग सूचनाः 18.05.2026; दावा की गई राशि: रु. 1560965.17 (रुपये पंद्रह लाख साठ हजार नौ सौ पैंसठ और सोलह पैसे मात्र) दिनांक 13.05.2026 तक और वास्तविक वसूली होने तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि; एनपए: 02.02.2025; प्रतिभूति का विवरण: प्लॉट नंबर 73 और 74 (300 वर्ग गज में से 50 वर्ग गज मापने वाला क्षेत्र) के हिस्से का वह समस्त भाग खसरा नंबर 18/20 में से गाँव मटियाला, दिल्ली राज्य दिल्ली, कॉलोनी नन्हे पार्क, ब्लॉक बी, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। संपत्ति की सीमा पूर्व में है: गली 10 फीट, पश्चिम में: सड़क 20 फीट, उत्तर में: प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 72।
2.	**कर्जदार और सह-कर्जदारों का नाम:** अनीश मैनपावर सर्विसेज 301/18, पहली मंजिल कृष्णा मेंशन गुड़गांव-122001 हरियाणा और साथ ही हाउस नंबर 656/28, खसरा नंबर 1168 ज्योति पार्क गुड़गांव गुड़गांव-122001 राजेश कुमार सिंह मकान नंबर 656/28, गली नंबर 14 ज्योति पार्क न्यू बलदेव नगर गुड़गांव-122001 हरियाणा ललिता सिंह नंबर 656/28, गली नंबर 14 ज्योति पार्क न्यू बलदेव नगर गुड़गांव-122001 हरियाणा ऋण खाता संख्या: 31507936 लोन खाता संख्या: 31507936; ऋण की राशि: रु. 30,72,686/- (रुपये तीस लाख बहत्तर हजार छह सौ छियासी मात्र) ऋण खाता संख्या 31507936 के तहत; मांग सूचनाः 18.05.2026; दावा की गई राशि: रु. 16,34,674.2/- (रुपये सोलह लाख चौंतीस हजार छह सौ चौहत्तर और बीस पैसे मात्र) दिनांक 13.05.2026 तक, और वास्तविक वसूली होने तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ ही अन्य आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए: 05.05.2026; प्रतिभूति का विवरण: मकान नं. 656/28 का समस्त भाग (खसरा नंबर 104 में से 52 वर्ग गज, 208 वर्ग गज में से) खसरा नंबर 1168 में से मौजा गुड़गांव, ज्योति पार्क, हदूद कमेटी, तहसील और जिला, गुड़गांव, हरियाणा-122001

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है

स्थान : दिल्ली — **हस्ता./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**
तिथि : 30.05.2026 — **अधिकृत प्राधिकारी**

HDFC BANK — We understand your world

पंजी. कार्यालय: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400 013; **शाखा कार्यालय:** एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 4थी मंजिल, फ्रेंसेट हाइट्स टी-2, आईवीवी-2, सुशांत गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226030

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे और उनके खाते अनियमित हो गए थे, इसलिए भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशियां निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित हैं और उक्त राशियों पर आगे का लागू ब्याज भी देय होगा और उसे उनकी संबंधित तिथियों से प्रभारित किया जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति और प्रतिभूतियों की अनुसूची
1. **मेसर्स गोल्डन डोर स्पा एंड सैलून (उधारकर्ता)** इसके प्रोपराइटर श्री पवन कुमार के माध्यम से। पताः नं. 12/652 सेक्टर 12, मुंशी पुलिया चौराहा, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016; 2. **श्रीमती मनोरमा (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता)** पत्नी श्री पवन कुमार, पताः मकान नं. 636/74, बजरंग चौराहा, मोहम्मदपुर माजरा, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016, **अन्य पता:** श्रीमती मनोरमा, पत्नी श्री पवन कुमार, पताः मकान नं. 633/73(ख-315), ग्राम-मोहम्मदपुर माजरा, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ-226026; 3. **श्री पवन कुमार (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता)** पुत्र श्री मोहन लाल, पताः प्लॉट नं. 74, गाटा नं. 315, बजरंग चौराहा, मोहम्मदपुर माजरा, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016, **अन्य पता:** श्री पवन कुमार, पुत्र श्री मोहन लाल, पताः मकान नं. 633/73(ख-315), ग्राम- मोहम्मदपुर माजरा, परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ-226026।	मकान सं. 633/73 (ख-315), जो प्लॉट नं. 74, खसरा नं. 315 और 316 मिन पर निर्मित है (दो अलग-अलग बिक्री विलेख/सेल डीड के साथ), क्षेत्रफल 247.162 वर्ग मीटर @ 2950 वर्ग फीट, जो ग्राम- मोहम्मदपुर माजरा, परगना- महोना, तहसील बख्शी का तालाब और जिला लखनऊ में स्थित है, (संपत्ति की मालिक श्रीमती मनोरमा और श्री पवन कुमार हैं) बिक्री विलेख (सेल डीड) संख्या 1: प्लॉट नंबर 74, खसरा नंबर 315 मिन पर, क्षेत्रफल 185.873 वर्ग मीटर (2000 वर्ग फीट), स्थित- ग्राम- मोहम्मदपुर माजरा, परगना महोना, तहसील-बख्शी का तालाब और जिला- लखनऊ। (संपत्ति की मालिक श्रीमती मनोरमा और श्री पवन कुमार हैं), जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 25 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 75, पश्चिम: प्लॉट नंबर 54, दक्षिण: प्लॉट नं. 73बिक्री विलेख (सेल डीड) संख्या 2: प्लॉट नंबर 74 का भाग, खसरा नं. 316 मिन पर, क्षेत्रफल 88.289 वर्ग मीटर, स्थित- ग्राम- मोहम्मदपुर माजरा, परगना महोना, तहसील- बख्शी का तालाब और जिला- लखनऊ। (संपत्ति की मालिक श्रीमती मनोरमा और श्री पवन कुमार हैं), जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 22 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नं. 75, पश्चिम: प्लॉट नंबर 54, दक्षिण: क्रेता का प्लॉट।

ऋण सुविधा का प्रकार: संपत्ति पर ऋण	ऋण संख्या:	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	नोटिस की तिथि:	एनपीए की तिथि:
	800815994	रुपये 64,03,778.00/- (10.03.2026 तक)	10.03.2026	06.01.2026

1. **श्री राहुल खुशीराम (उधारकर्ता और बंधककर्ता)** पुत्र श्री नारायण खुशीराम। पताः फ्लैट नंबर 102, ज्ञानगंगा अपार्टमेंट, फैजाबाद रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226007। **अन्य पता:** श्री राहुल खुशीराम, पुत्र श्री नारायण खुशीराम। पताः मकान नं. 102, फैजाबाद रोड, महानगर पुलिस स्टेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226007,2. **सुश्री कृतिका वत्स (सह-उधारकर्ता)** पुत्री श्री राकेश मोहन शर्मा, केयर ऑफ (C/o) श्री राहुल खुशीराम, पताः फ्लैट नं. डी3, आदर्श नगर, मेरठ कॉलेज के पीछे, बेगमपुल, मेरठ कैंट, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001	फ्लैट नंबर 102, जिसका निर्मित क्षेत्र (Built Up Area) 1260 वर्ग फीट है, जो पहली मंजिल पर स्थित है, साथ ही संपत्ति संख्या 543ए, जिसे "ज्ञान गंगा" अपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है, में लगभग 37.35 वर्ग मीटर की अविभाजित आनुपातिक भूमि है, जो मोहल्ला न्यू हैदराबाद, फैजाबाद रोड, लखनऊ में स्थित है, जिसे टी.जी. न्यू सिविल लाइंस स्कीम, फैजाबाद रोड, लखनऊ के रूप में भी जाना जाता है, (संपत्ति के मालिक श्री राहुल खुशीराम हैं)। जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: खुला स्थान, पश्चिम: गलियारा/सीढ़ी, उत्तर: खुला स्थान/फैजाबाद रोड, दक्षिण: फ्लैट नंबर 103			

ऋण सुविधा का प्रकार: संपत्ति पर ऋण	ऋण सं.:	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	नोटिस की तिथि:	एनपीए की तिथि:
	85114431	रु. 14,73,883.00/- दिनांक 17.02.2026 तक	17/02/2026	10/12/2025

1. **मेसर्स ओम आदित्य ट्रेडिंग कंपनी (उधारकर्ता)**, प्रोपराइटर बबीता देवी के माध्यम से, पताः घास मंडी रोड, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223101, 2. **श्रीमती बबीता देवी (गारंटर)** पत्नी श्री संतोष कुमार, पताः सब्जी मंडी, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223101 **अन्य पता:** श्रीमती बबीता देवी, पत्नी श्री संतोष कुमार, पताः मकान नंबर -14 वाई, उमरपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223101, 3. **श्री संतोष कुमार बंधककर्ता और गारंटर)** पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर, पताः नई सब्जी मंडी, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223101	आराजी नंबर 1844, क्षेत्रफल 0.02-3/4 डेसिमल/1196.51 वर्ग फीट, जो मौजा भांडी (नकबंदी क्षेत्र), परगना- न्यू अंगुली, तहसील- शाहगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223101 में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: मुरली की भूमि, पश्चिम: पी.डब्ल्यू.डी. (ड.ड.क) रोड शाहगंज आजमगढ़, उत्तर: भूमि का शेष भाग, दक्षिण: रमेश का मकान। मालिक का नाम: श्री संतोष कुमार, संपत्ति का प्रकार: व्यावसायिक/आवासीय		

ऋण सुविधा का प्रकार:	ऋण सं.:	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	नोटिस की तिथि:	एनपीए की तिथि:
कैश क्रेडिट कार्यशील पूंजी / टर्म लोन-जीईसीएल	50200004835864 8836934	रु. 26,16,656.00/- 30.04.2026 तक	30-04-2026	27/12/2020

चूंकि आपको उस पते पर भेजे गए नोटिस वापस आ गए हैं जहां आप मूल रूप से रहते हैं/व्यवसाय करते हैं/लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, इसलिए हम इस नोटिस को प्रकाशित करने के लिए विवश हैं।आपको इसके द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत बुलाया जाता है कि आप इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, शुल्कों आदि के साथ उपरोक्त उल्लिखित देयता का भुगतान करें, ऐसा न करने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, आप पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे (लीज) या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेंगे।

दिनांक: 30.05.2025, स्थान: लखनऊ — **अधिकृत अधिकारी,एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की ओर से**

SMFG India Credit

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, नेकर सेविसेटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई– 400051

मांग-सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार इसे चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक और राशि
1. सोनू बाइक पॉइंट 2. रफीना अनीस 3. मोहम्मद अनीस LAN&191101310413897, 191101310724703	22 मई 2026, दिनांक 19–05–2026 तक 2,066,335.43 रुपये (बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ पैंतीस रुपए एवं तैंतालीस पैसे मात्र)

बंधक अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी: रफीना बानो पत्नी श्री अनीस सिद्दीकी, संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 1399 में स्थित मकान,क्षेत्रफल 1300 वर्ग फुट यानी 120.817 वर्ग मीटर, अली नगर सुनेहरा बार्ड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में स्थित है। सीमाएं: पूर्व: 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: महेश का मकान, उत्तर: विक्रेता का भूखंड, पश्चिम: विक्रेता का भूखंड,

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करे कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और ध्वस्त या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य कार्य के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया धोका जाता है और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: लखनऊ — **हस्ता./- अधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 30.05.2026 — **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

RELIANCE Asset Reconstruction

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटे